U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh %ch- ,y- dkBkjh] vkb-,-,l

jktLo f}rh; vihy la[;k 401@2017

vihykUV	बनाम	**jLikMUVl**
शान्तीलाल पुत्र इन्दाराम निवासी– खिवान्दी तहसील सुमेरपुर जिला पाली।		1. चम्पाबाई पत्नी कपूरजी पुत्री इन्दाराम निवासी– छावनी, तहसील शिवगंज 2. कन्यादेवी पत्नी भंवरलाल पुत्री इन्दाराम निवासी– चौपावाली छावनी, तहसील शिवगंज 3. लीला पत्नी नारायणलाल पुत्री इन्दाराम निवासी– रामदेव चौक, बडगांव शिवगंज 4. रतनादेवी पत्नी कालूराम पुत्री इन्दाराम निवासी– राजपूतों का बास, छावनी, तहसील शिवगंज 5. पुखराज पुत्र इन्दाराम 6. स्व0 मूला पुत्र इन्दाराम के कायम मुकामः—— 1. जितेन्द्र कुमार पुत्र 2. पारसमल पुत्र 3. पिस्ताराम पुत्र 4. हस्तूदेवी पत्नी मूलाराम निवासी खिवान्दी तहसील सुमेरपुर 7. पोकरी बाई पत्नी स्व0 इन्दाराम निवासी खिवान्दी तहसील सुमेरपुर 8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.09.2017 जो जिला कलक्टर पाली ने प्रथम राजस्व अपील संख्या 98/2017 अनवान श्रीमती चम्पाबाई बनाम राज0 राज्य वगैराह में पारित किया।

mifLFkfr%&&

1. श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री अनोपसिंह, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 की ओर से उपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से उपस्थित।

fu.k;

fnukd 18 Qjojh] 2020

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील जिला कलक्टर पाली ने प्रथम राजस्व अपील संख्या 98/2017 अनवान श्रीमती पोकरी बाई बनाम राज0 राज्य पारित निर्णय दिनांक 13.09.2017 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया गया कि रेस्पो0 संख्या एक ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश करते हुए यह कथन किया था कि ग्राम खिवान्दी के ख0सं0 30 रकबा 1.47 हैक्टर व ख0सं0 31 रकबा 1.15 हैक्टर किस्म जवाई नहरी प्रथम कुल रकबा 2.62 हैक्टर भूमि खातेदार इन्दाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। खातेदार इन्दाराम के देहान्त उपरान्त रेस्पो0 संख्या अपीलान्ट शान्तीलाल एवं रेस्पो0 संख्या 5 से 7 पुखराज, मूलाराम, श्रीमती पोकरी बाई के नाम से फौतेदगी नाम0 संख्या 733 दिनांक 16.10.2001 को ग्राम पंचायत खिवान्दी के द्वारा स्वीकृत किया गया।

4. उक्त स्वीकृत नामा0 संख्या 733 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1, 2, 3, 4 के द्वारा अधिनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश करते हुए अपना नाम भी अपीलान्ट एवं रेस्पों0 संख्या 5 से 7 के साथ–साथ राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्दाराम के वारिसान के रूप में करवाये जाने का निवेदन किया। जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.9.2017 को रेस्पो0 संख्या एक की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 733 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिया कि वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत मृतक खातेदार इन्दाराम के विधिक वारिसान की जॉच कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रथम अपीलीय न्यायालय

के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि विद्वान जिला कलेक्टर ने रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को सरसरी तौर पर निर्णित करते हुए जो आदेश पारित किया है वह निरस्त करने योग्य है। रेस्पो0 संख्या एक के अपीलाधीन नामा0 संख्या 733 दिनांक 16.10.2001 को स्वीकृत होने के लगभग 07 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई प्रथम अपील पूर्ण रूप से मियाद बाहर थी जिसे स्वीकार करने में जिला कलेक्टर पाली ने म्याद अधिनियम की धारा 05 का पूर्ण परीक्षण नहीं किया और अपील को अन्दर म्याद मानते हुए स्वीकार किया गया, जबकि धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में जो कारण दर्शाये गये, उनके आधार पर विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता था। ऐसे में प्रथम अपील निरस्त करने योग्य है।

6. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 733 को वर्ष 2001 में सभी वारिसान की सहमति से स्वीकार किया गया था। रेस्पोडेन्टस को इसकी जानकारी प्रारम्भ से ही थीं। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील को पुनः लौटा दिये जाने के पश्चात भी प्रथम अपील म्याद प्रस्तुत की गई जिसका कोई संतोषप्रद कारण नहीं था। इसके अतिरिक्त प्रथम अपील की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी रेस्पोडेन्टस ने आपस में मिलावट करके एक दुर्भी संधि के तहत केवल मुझ अपीलान्ट को ब्लैकमेल करने के उददेश्य से ही अपील पेश की गई थी क्योंकि रेस्पो0 संख्या एक अपीलान्ट की सौतेली माता है एवं उन्हें ही आगे रखकर अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई है।

7. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि वर्तमान समय में भी अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार काबिज है। रेस्पोडेन्टस का कोई कब्जा वादग्रस्त भूमि पर नहीं है। उक्त नामा0 को जैर अपील के चुनौती देने के पीछे कोई उचित व सदभाविक कारण नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन

आदेश दिनांक 13.09.2017 को निरस्त करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 733 को बहाल रखा जावें।

8. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 7 की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश करते हुए यह कथन किया था कि रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 मृतक खातेदार इन्दाराम की जायन्दा पुत्रिया है ऐसे में इस आधार पर इन्दाराम के उत्तराधिकारी रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 का नाम अपीलाधीन नामा0 संख्या 733 में दर्ज होना चाहिये था परन्तु अपीलाधीन फौतेदगी नामा0 संख्या 733 में मात्र अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 5 ता 7 यानि शान्तीलाल, मूलाराम, पुखराज, पोकरीबाई का ही नाम दर्ज किया गया जिसकी जानकारी होने पर उसके द्वारा प्रथम अपील पेश करते हुए अपना नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया। जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.9.2017 को रेस्पो0 संख्या एक की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 733 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिया कि वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत मृतक लादूराम के विधिक वारिसान की जॉच कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। जो पूर्ण रूप से उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावे। अगर अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि में हक–हिस्सा बनता होगा तो तहसीलदार सुमेरपुर के द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में तय हो जायेगा।

9. हमने पक्षकारान के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विद्वान जिला कलेक्टर पाली ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को हमारे द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृति के सम्बन्ध में राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 133 का अवलोकन किया जो इस प्रकार से हैः––

उत्तराधिकार तथा कब्जे के अन्तरण की सूचना

1. किसी सम्पति या अन्य अधिकार या किसी भूमि में हित या उसके लाभ का जो किस इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा वार्षिक रजिस्टरों में दर्ज किया जाना अपेक्षित है, उत्तराधिकार, अन्तरण या अन्य प्रकार से, 'कब्जा पाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य की सूचना गांव

के पटवारी को देगा आर उस तहसील के, जिसमें ऐसी भूमि स्थित है तहसीलदार को या तो सीधे या गांव के पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा, उस तारीख से जब कि वह ऐसा कब्जा प्राप्त करता है, तीन महिनों के अन्दर सूचना देगा।

2. यदि ऐसा व्यक्ति अव्यस्क हो या अन्यथा अयोग्य हो तो उनका संरक्षक अथवा अन्य व्यक्ति जिसके पास ऐसे व्यक्ति की सम्पति का प्रभार हो, ऐसी सूचना देगा।

10. इस प्रकार धारा 133 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार मूल मृतक खातेदार इन्दाराम के फौत हो जाने पर अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 5 ता 7 के द्वारा अपने को खातेदार इन्दाराम का विधिक उत्तराधिकारी होने तथा उनके वारिसान के रूप में नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार पाली के समक्ष उक्त तथ्य मौखिक रूप से ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार पाली के द्वारा धारा 133 के अनुसार अपीलाधीन नामा0 संख्या 733 तत्समय में स्वीकृत किया गया है क्योकि फौतगी नामा0 दर्ज करवाने हेतु उनके समक्ष अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या 5 ता 7 ही उत्तराधिकारी के रूप में होने बाबत तथ्य सामने लाये गये थे। अधिनस्थ कार्यालय के रेकर्ड से यह भी प्रकट नहीं होता है कि रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 4 के द्वारा नामा0 स्वीकृति के पूर्व तथा नामा0 कार्यवाही के दौरान अपनी ओर से ऐसा कोई तथ्य और साक्ष्य यानि वे मृतक खातेदार इन्दाराम की जायन्दा पुत्रियॉ है और उनका नाम फौतेदगी नामा0 के दर्ज किया जावे, तहसीलदार के समक्ष पेश नहीं किया है। ऐसे में तहसीलदार के समक्ष फौतगी नामा0 दर्ज किये जाने हेतु जो मौखिक तथ्य साक्ष्य सामने लाये गये थे उसी अनुसार तहसीलदार के द्वारा तथाकथित जॉच करने के उपरान्त अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन नामा0 को स्वीकृत किये जाने में तहसीलदर के द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

11. रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 4 के द्वारा इस नामान्तरकरण कार्यवाही के जरिये अपने को मृतक खातेदार का विधिक वारिसान दर्शाते हुए वादग्रस्त भूमि में काश्तकारी अधिकार सम्बन्धी अनुतोष चाहा गया है। जिस पर हमारे द्वारा काश्तकारी अधिकार प्राप्त करने के सम्बन्ध में राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 का भी अवलोकन किया जो इस प्रकार से हैः——

88- Suits for declaration of right—

(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.
(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.
(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.
(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

12. राज0 काश्तकारी अधिनियम की उक्त धारा में यह स्पष्ट प्रावधान किये हुए है कि dkbZ Hkh 0;fDr जो काश्तकार होने का दावा करता है तो वह धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय के समक्ष नियमित वाद दायर करते हुए वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। ऐसे में रेस्पो0 संख्या 2 ता 4 को चाहिये था कि वे अपने हक–हकूकों को प्राप्त करने हेतु नियमानुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष नियमित वाद प्रस्तुत करते हुए वांछित अनुतोष प्राप्त करती जिससे उनके हक–अधिकारों को स्पष्ट निर्धारण हो पाता। नामान्तरकरण प्रक्रिया मात्र राजस्व रेकर्ड के अपडेशन सम्बन्धी कार्यो हेतु अपनाई जाती है। नामान्तकरण अपील के जरिये किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर गहनतापूर्वक मनन करने के उपरान्त हमारी विनम्र राय हैकि जिला कलेक्टर पाली द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 733 को निरस्त करते हुए प्रकरण को तहसीलदार सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जॉच कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उसे यथावत बहाल रखा जाना विधि अनुरूप नहीं होगा।

13. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर पाली के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18 फरवरी, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼ch0,y0 dkBkjh½
fMoh tuy dfe'uj]